UPGK010053702026

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट,
(महिलाओं के विरुद्ध अपराध), गोरखपुर।
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–2362/2026

राज कुमार वर्मा पुत्र सुरेन्द्र वर्मा, उम्र– 29 वर्ष, निवासी ग्राम– मलकुही, थाना– कप्तानगंज, जनपद– कुशीनगर।
हाल मुकाम– डेरी कालोनी, कौवाबाग, थाना– शाहपुर, जिला– गोरखपुर।
..... आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य ..... विपक्षी।

मुकदमा अपराध संख्या– 53/2026
धारा– 69,352,351(3) बी०एन०एस०
थाना– शाहपुर, जनपद– गोरखपुर।

1– आवेदक/अभियुक्त राज कुमार वर्मा द्वारा उपरोक्त प्रकरण में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। आवेदक/अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है। जमानत प्रार्थना–पत्र के साथ **शाहिल कुमार वर्मा** का शपथ पत्र संलग्न है। शपथ–पत्र में इस आशय का कथन किया गया है कि यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इस जमानत प्रार्थना पत्र के अलावा अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र अन्य किसी न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज में लंबित एवं विचाराधीन नहीं है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि वर्तमान मामले की पीड़िता (Victim) की पहचान गुप्त रखने के उद्देश्य से जहां भी पीड़िता का नाम आया है, वहां उसे इस जमानत आदेश में मात्र "पीड़िता" शब्द से संबोधित किया गया है।

2– अभियोजन का संक्षिप्त कथानक इस प्रकार है कि वादिनी मुकदमा (पीड़िता) की जान–पहचान दो साल पहले राज वर्मा से घर के सामने काम करवाने के दौरान हुई थी। धीरे–धीरे उन लोगों की फोन पर बात होने लगी थी। राज उसे अपने घर लेकर जाया करते थे। जिसके बाद उन लोगों ने बिना किसी को बताए बुढ़िया माता ते मंदिर में शादी कर ली थी, लेकिन सामाजिक तौर पर शादी करने का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। जब ये बात उसके गर वालों को पता चली तो उसकी मां आशा और बहन पूनम उर्फ प्रीति व भाई साहिल वर्मा ने उसे फोन पर गंदी–गंदी गाली दी और उसे जान से मारने की धमकी दी। बात बढ़ने पर राज उसे शक्ति नगर से लेकर साथ में चला गया और उसे करीम नगर किराए का रुम लेकर दो महीने तक पत्नी की तरह रखा और उसका शारीरिक शोषण करता रहा। पुनः शादी की बात करने पर 09.02.2026 से फोन बन्द करके गायब है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह मुकदमा पंजीबद्ध किया गया है।

3– आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की तरफ से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक/अभियुक्त पूर्णतया निर्दोष है। अभियोजन द्वारा लगाया गया आरोप असत्य व निराधार है। आवेदक बिजली के वायरिंग का ठेका लेकर काम कराता है। जब वादिनी मुकदमा शक्तिनगर, बशारतपुर, शाहपुर गोरखपुर में अपने माता व भाई के साथ रहती थी। उसी मोहल्ले में आवेदक का भी बिजली के वायरिंग का कार्य चल रहा था। उसी दौरान उससे वादिनी मुकदमा के वृद्ध मां व वादिनी मुकदमा से मुलाकात हुई थी। उपरोक्त मां–बेटी के बातचीत के दौरान पता चला कि वादिनी मुकदमा के पिता बेचन ने वादिनी मुकदमा व वादिनी मुकदमा के मां व भाई को निकाल दिया है तथा किसी तरह गोरखपुर शहर में किराए के मकान लेकर रहते हैं। उपरोक्त वादिनी मुकदमा आवेदक को अपने घर

की लाचारी बताते हुए मदद के लिए पैसा मांगती थी। आवेदक मेहनत–मजदूरी करके जो पैसा पाता था, उसी में से देता रहा। वादिनी मुकदमा भिन्न–भिन्न हास्पिटल में कार्य कर रही थी तथा अपने नाम पर स्कूटी लोन पर ले रखा था। उसका भी किश्त आवेदक लगभग साल भर देता रहा व जरूरत पड़ने पर नगद व आनलाईन भी देता रहा। इस तरह आवेदक से वादिनी मुकदमा 2,50,000/– रुपए ले चुकी है और वादिनी ने कहा कि किसी अच्छे हास्पिटल में नौकरी लग जाएगी तो आपका संपूर्ण भुगतान कर देंगे तथा वादिनी मुकदमा की मां भी वही बात कही थी। वर्तमान में नीलकंठ हास्पिटल खजांची बाजार गोरखपुर में कार्यरत है। जब आवेदक जाना कि वादिनी मुकदमा की नौकरी अच्छे हास्पिटल में लग गयी है तो अपना पैसा मांगने उसके घर गया तब वादिनी अपनी मां के साथ कही कि अभी नौकरी लगी है, पैसा मिलते ही उपरोक्त सारा पैसा इकट्ठा भुगतान कर दूंगी। आवेदक कुछ माह बाद पुनः अपना उपोरक्त पैसे की मांग करने गया तो पता चला कि वादिनी मुकदमा ने मकान छोड़कर दूसरे जगह किराए के मकान में रहने चली गयी। आवेदक बहुत तलाश किया, परन्तु नहीं मिली। आवेदक एक दिन खजांची चौराहे से गुजर रहा था तो वादिनी मुकदमा दिखायी दी तो रोड पर वादिनी से अपने पैसे की मांग किया तो कही कि हम ट्रेनिंग पर चले गए थे तथा मकान मालिक ने मेरी मां के साथ बदतमीजी कर रहा था, इसलिए जब मैं ट्रेनिंग से आयी तो मकान हमने जल्दबाजी में बदल दिया, जिसकी सूचना आपको नहीं दे पायी। मैं आपको वहां ले चलती हूं, जहां हम वर्तमान में रह रहे हैं। आवेदक पुनः झांसे में आ गया। आवेदक माह नवम्बर में पुनः पैसे की मांग करने गया कि मेरी घर की हालत खराब है आप जो उपरोक्त पैसा लिया है, उसे वापस कर दो तो वादिनी मुकदमा अपनी मां के साथ आवेदक को फर्जी व झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देने लगी, जिससे आवेदक डर गया और कहा कि उसे आप लोगों से रुपया नहीं चाहिए। आप लोग इस तरह गंदा व झूठा आरोप न लगाईए। एक माह बाद वादिनी मुकदमा आवेदक को डरा–धमकाकर कही कि मुझे सख्त 20,000/– रुपए की जरूरत है, नहीं दोगे तो तुम्हें फर्जी मुकदमे में फंसा दूंगी। आवेदक वादी मुकदमा की धमकी से डर गया, जिससे आवेदक की तबियत खराब हो गयी। आवेदक के घर वालों ने पूछा, परन्तु आवेदक ने डर के मारे सही बात नहीं बता पाया। इसी तरह आवेदक वादिनी मुकदमा के मांगे गए रुपए को हमेशा मांगने पर देता रहा। वादिनी मुकदमा आवेदक का घर का पता लगाते–लगाते आवेदक के घर आ गयी व दरवाजे पर चढ़कर गन्दी–गंदी गाली–गुप्ता देने लगी। जब आवेदक के घर वालों ने रोका तो सबको फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी देते हुए चली गयी। वादनी मुकदमा माह फरवरी में गलत तथ्यों के आधार पर आवेदक व उसके माता, भाई, बहन के ऊपर झूठा मुकदमा कायम करा दिया। उपरोक्त मुकदमे में अधीनस्थ न्यायालय से सहअभियुक्तगण की जमानत दिनांक 22.05.2026 को हो चुकी है। आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 31.05.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध है। उपरोक्त आधारों पर आवेदक/अभियुक्त द्वारा जमानत प्रदान किये जाने की याचना की गयी है।

4– सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए अपने तर्क में कथन किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा वादिनी मुकदमा (पीड़िता) को शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए गए। अभियुक्त द्वारा पीड़िता को गाली–गलौज देकर जान से मारने की धमकी भी दी गयी। यद्यपि आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, किन्तु उसके द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। ऐसी स्थिति में आवेदक/अभियुक्त जमानत का हकदार नहीं है और तद्नुसार जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने की याचना की है।

5– मैंने आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की बहस को सुना तथा संबंधित केस डायरी का अवलोकन किया।

6– केस डायरी व अन्य प्रपत्रों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक/अभियुक्त पर आरोप लगाया गया है कि उसके द्वारा पीड़िता को शादी करने का झांसा देकर कई बार शारीरिक संबंध बनाए गए और उसे गाली–गलौज देकर जान से मारने की धमकी

भी दी गयी। पीड़िता ने धारा 180 बी०एन०एस०एस० के बयान में बताया है कि उसकी जान–पहचान दो साल पहले राजकुमार उर्फ राज वर्मा से घर के सामने काम करने के दौरान हुई थी। धीरे–धीरे फोन पर बात होने लगी थी। राज उसे अपने कमरे पर लेकर जाया करते थे। जब उसने शादी की बात की तो राज ने कहा कि चलो मंदिर में शादी कर लेते हैं और बाद में घर वालों को बताकर धूमधाम से शादी किया जाएगा, जिसके बाद दोनों ने बिना किसी को बताए दिनांक 27.02.2024 को बुढ़िया माता मंदिर में जाकर शादी कर ली थी। जिसके बाद से वह उससे सामाजिक तौर पर शादी करने का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। जब उनके बारे में उसके घर वालों को पता चला तो राज वर्मा की मां आशा देवी, बहन पूनम उर्फ प्रिती व भाई साहिल वर्मा ने उसे गंदी–गंदी गाली दी और जान से मारने की धमकी दी। उसके बाद राज उसे उसके घर से लिवाकर ले गया और दिनांक 13.12.2025 से करीम नगर स्पोर्टस कालेज के पास किराए का रुम लेकर पत्नी की तरह रखे और सामाजिक तौर पर शादी करने का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाकर उसका शोषण करते रहे। जब उसने पुनः शादी की बात की तो वह दिनांक 09.02.2026 से उसे कमरे पर अकेले छोड़कर अपना फोन बंद करके गायब है। पीड़िता ने अपने धारा 183 बी०एन०एस० एस० के कथन में बताया है कि "मेरी मुलाकात राज वर्मा से दो महीना पहले हुई थी। वह बिजली का काम करवाता था। हम दोनों में प्रेम हो गया। राज ने मुझसे शादी का वादा किया। शादी के नाम पर धोखे से मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया। मैं तीन बार प्रेग्नेन्ट भी हो गयी थी। हम दोनों ने 27.02.2025 को बुढ़िया माता मंदिर में शादी कर ली है। दो महीने तक मुझे किराए के मकान में रखकर मेरे साथ पति–पत्नी जैसे रह रहे थे। हमारे शादी का प्रूफ मेरे साथ नहीं है। मेरे घर वाले इस मैटर में नहीं पड़े, क्योंकि वो लोग कहते थे कि सबको मरवा देंगे। मेरे भाई को भी परेशान करते थे। राज वर्मा के परिवार वाले मुझे accept नहीं कर रहे हैं।" जहां तक बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत पीड़िता की सहमति के तर्क का प्रश्न है, इस संबंध में जमानत प्रार्थना पत्र के निस्तारण के स्तर पर यह निर्धारित किया जाना कि पीड़िता द्वारा दी गई सहमति स्वैच्छिक थी या अभियुक्त द्वारा कारित तथ्यों की प्रवंचना का परिणाम थी, उचित नहीं है। उपरोक्त तथ्य का निर्धारण विचारण के दौरान साक्ष्य के विस्तृत परिशीलन उपरान्त किया जाना न्यायसंगत होगा। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध प्रथम दृष्टया गंभीर प्रकृति का प्रतीत हो रहा है।

7– अतएव इस स्तर पर मामले के गुण-दोष पर अपनी कोई अंतिम राय व्यक्त किए बिना, इस मामले के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता, प्रकृति व आवेदक/अभियुक्त की कथित अपराध में भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने का कोई ठोस एवं न्यायोचित आधार विद्यमान नहीं हैं। अतः आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **राज कुमार वर्मा** द्वारा **मुकदमा अपराध संख्या 53/2026, धारा– 69,352, 351(3) बी०एन०एस०, थाना– शाहपुर, जिला– गोरखपुर** के अभियोग में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र **निरस्त** किया जाता है।

दिनांकः 15.06.2026

(सुदेश कुमार)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0,
(महिलाओं के विरुद्ध अपराध),गोरखपुर।
J.O.Code- UP1782

Digitally signed by SUDESH KUMAR
Date: 2026.06.15 16:55:27 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court